(160)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक/एफ-16/4/1991/10/2 भोपाल, दिनांक 18/2/2005

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय:- संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश का प्रदाय।

संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश के प्रदाय के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

1/ संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश का प्रदाय समसंख्यक संकल्प। दिनांक 22/10/2001 के अनुसार किया जाए अर्थात इमारती लकड़ी के लाभ का 10% एवं बांस के लाभ का 20%। इस मान से वर्ष 2001-02 से निरन्तर वर्ष 2004-05 में लाभांश का आंकलन किया जाए।

2/ इमारती लकड़ी एवं बांस से प्राप्त शुद्ध आय की गणना प्रत्येक समिति क्षेत्र हेतु जिलों को इकाई मानते हुए निम्नांकित व्यय को कम कर की जाए:-

(1) इमारती लकड़ी एवं बांस विक्रय पर देय समस्त प्रकार के कर/उपकर

(2) उत्पादन वन मण्डल के समस्त मदों के व्यय एवं क्षेत्रीय वन मण्डल के उत्पादन से संबंधित मदों के समस्त व्यय (वेतन भत्ते सहित)

(3) क्षेत्रीय वन मण्डल के समस्त आयोजनेत्तर व्यय (वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते, कार्यालय व्यय, मजदूरी, पी.ओ.एल. आदि) का 50 प्रतिशत

(4) पुनरोत्पादन व्यय

(5) डूब क्षेत्र के विदोहन से प्राप्त राजस्व लाभांश हेतु देय नहीं होगा।

3/ परिगणित लाभांश का वितरण निम्नानुसार किया जाए:-

(1) किसी वर्ष में समिति हेतु परिगणित शुद्ध लाभ का 80 प्रतिशत उस समिति को वितरित किया जाए जिनके आवंटित वन क्षेत्र के पूर्ण/आंशिक भाग में अंतिम पातन उक्त वर्ष में किया गया हो।

(2) अवशेष 20 प्रतिशत राज्य के समस्त जिलों की वन समितियों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं का विकास, सूक्ष्म प्रबंध योजना की तैयारी, समितियों में जागरूकता पैदा करने हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार, लाभांश वितरण की व्यवस्था तथा वन समितियों से संबद्ध वनकर्मियों की आवास सुविधा के विकास आदि के लिये वन विभाग

...2..

161

द्वारा व्यय किया जाए ।

(3) समितियों को प्राप्त राशि का उपयोग समिति द्वारा आम सभा की सहमति से किया जाए ।

(4) समिति द्वारा प्राप्त राशि का कम से कम 25 प्रतिशत वन विकास कार्यों में उपयोग किया जाए ।

4/ लाभांश वितरण के लिये आवश्यक राशि वन विभाग को अतिरिक्त रूप से बजट में उपलब्ध करायी जाए ।

उपर्युक्त निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुधीर पंवार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ.क्र./एफ-16/4/1991/10/2 भोपाल, दिनांक 18/2/2005

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।

2/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

3/ निज सचिव, वन मंत्री जी, म.प्र. भोपाल ।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग